क्रमांक 32/95/82–4जी0 एस0 ।

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मंडल हरियाणा,

(2) सभी उपायुक्त तथा सिविल मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

(3) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट और हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 24 अगस्त, 1982

विषय : 50/55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखना—अधिकारी समिति में भेजे जाने वाले केसों में सिफारिश करने के बारे ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के अशा0 क्रमांक 5846–4 जी0 एस0 I–74/27623, दिनांक 22–11–74 तथा 28/138/81–4 जी0एस0I, दिनांक 4–9–81 की ओर दिला कर यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार यह महसूस करती है कि इन पत्रों में निहित हिदायतों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की जा रही जिसके फलस्वरूप किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो सकती है । अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे केसों को जहां अधिकारी सेवा रिकार्ड के आधार पर दो सेवा में रखे रहने योग्य हों परन्तु उसकी ईमानदारी पर समस्त सेवा के दौरान किसी भी समय संदेह व्यक्त किया गया हो, मुख्य सचिव (सामान्य सेवाएं शाखा–I) के माध्यम से, गठित अधिकारी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जायें । परन्तु मुख्य सचिव (सामान्य सेवाएं शाखा–I) को ऐसे केसों को भेजने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपनी सिफारिश करते समय स्वयं अपना (mind apply) करें और अधिकारी समिति की सिफारिश प्राप्त होने के बाद भी नियुक्ति प्राधिकारी आदेश (mechanically) पारित न करें बल्कि अधिकारी समिति की सिफारिश पर अपना (mind apply) करके स्वयं निर्णय लें कि क्या अमुक अधिकारी/कर्मचारी 50/55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखा जा सकता है या नहीं ।

कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये और सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला दें ।

हस्त/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन ;

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति सभी वित्तायुक्तों तथा प्रशासनिक सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है । वे कृपया इन हिदायतों को अपने अधीन सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला दें ।